न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 863 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 महाप्रबन्धक एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. जोधपुर		1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 प्रतिनिधि एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि.।
2 तहसीलदार बाडमेर अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 30.10.18

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उनकी कम्पनी एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. भारत सरकार का उपक्रम है जो पिछले 62 वर्षो से जिप्सम का दोहन कर उसकी आपूर्ति प्रमुखता से कृषि व सीमेन्ट क्षेत्र में की जा रही है। पूर्व में कम्पनी सिणधरी फर्टिलाईजर कोर्पोरेशन इण्डिया के नाम से थी, जो वर्ष 1956 से वर्ष 2003 तक जिप्सम खनन का कार्य कर रही थी। सन 2006 में कवास उतरलाई क्षेत्र में बाढ आने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया। वर्ष 2003 में माननीय डीआईएफआर के आदेशानुसार फर्टिलाईजर कोर्पोरेशन इण्डिया से डीमर्ज होकर एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. के नाम से रजिस्टर्ड हुई। डिमर्जर योजना के अनुसार कम्पनी की सभी सम्पतियां व अधिकार कम्पनी को स्वतः ही हस्तान्तरित हो गये। कम्पनी की निम्नाकित भूमि विभिन्न ग्रामों में स्थित है।

क्र. सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा / बिस्वा)	क्षेत्र का नाम
1	252 / 22	70.00	उतरलाई
2	280 / 164	03.07	उतरलाई
3	283 / 166	61.10	उतरलाई
4	288 / 167	211.18	उतरलाई
5	292 / 168	15.07	उतरलाई
6	293 / 169	06.01	उतरलाई
7	294 / 170	03.17	उतरलाई
8	295 / 172	02.16	उतरलाई
9	296 / 173	01.10	उतरलाई
	कुल	**376.06**	
10	76	13.00	आदर्श ढूंढा
11	77	09.19	आदर्श ढूंढा
12	204	15.18	आदर्श ढूंढा
13	205	02.11	आदर्श ढूंढा
14	681 / 75	06.05	आदर्श ढूंढा
15	686 / 79	0.16	आदर्श ढूंढा
16	711 / 203	14.13	आदर्श ढूंढा
17	714 / 206	02.00	आदर्श ढूंढा
18	716 / 208	04.03	आदर्श ढूंढा
	कुल	**69.05**	
19	218 / 34	09.09	हरूपोणियों की ढाणी (बान्दरा)
20	219 / 38	49.08	हरूपोणियो की ढाणी (बान्दरा)
21	230 / 185	65.00	हरूपोणियों की ढाणी (बान्दरा)
	कुल	**123.17**	

उक्त भूमियां कम्पनी के पूर्व नाम सिणधरी फर्टिलाईजर कोर्पोरेशन इण्डिया के नाम से है, जिसे अब नवीन नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. नाम शुद्ध कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तहसीलदार बाडमेर से तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करवाया कि ग्राम बान्दरा के उपवर्णित खसरान की भूमि पूर्व में सिणधरी फर्टिलाईजर्स इण्डिया जिप्सम कम्पनी कवारा उतरलाई के नाम दर्ज है, जिसका वर्तमान नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. में हो चुका है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि उपवर्णित भूमि भारत सरकार के उपक्रम जिप्सम कम्पनी सोनी रेन्ट माईनिंग कवारस उतरलाई के नाम दर्ज है। वर्तमान में यह कम्पनी माननीय बीआईएफआर के आदेशानुसार एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. के नाम रजिस्टर्ड है। उक्तानुसार नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार बाडमेर को उक्त नाम शुद्धि पर कोई आपति नही है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि भारत सरकार के उक्त उपक्रम का नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि में खातेदार का नाम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. शुद्ध किया जाता है:–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा / बिस्वा)	क्षेत्र का नाम
1	252 / 22	70.00	उतरलाई
2	280 / 164	03.07	उतरलाई
3	283 / 166	45.10	उतरलाई
4	252 / 166	02.19	उतरलाई
5	353 / 166	05.11	उतरलाई
6	354 / 166	07.10	उतरलाई
7	288 / 167	110.07	उतरलाई
8	355 / 167	04.05	उतरलाई
9	356 / 167	97.07	उतरलाई
10	292 / 168	15.07	उतरलाई
11	293 / 169	06.01	उतरलाई
12	294 / 170	03.17	उतरलाई
13	295 / 172	02.16	उतरलाई
14	296 / 173	01.10	उतरलाई
	कुल	**376.06**	
15	76	13.00	आदर्श ढूंढा
16	77	09.19	आदर्श ढूंढा
17	204	15.18	आदर्श ढूंढा
18	205	02.11	आदर्श ढूंढा
19	681 / 75	06.05	आदर्श ढूंढा
20	686 / 79	0.16	आदर्श ढूंढा
21	711 / 203	14.13	आदर्श ढूंढा
22	714 / 206	02.00	आदर्श ढूंढा
23	716 / 208	04.03	आदर्श ढूंढा
	कुल	**69.05**	
24	218 / 34	09.09	हरूपोणियो की ढाणी (बान्दरा)
25	219 / 38	49.08	हरूपोणियो की ढाणी (बान्दरा)
26	230 / 185	65.00	हरूपोणियो की ढाणी (बान्दरा)
	कुल	**123.17**	

तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त खसरों मे तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाडमेर

आदेश आज दिनांक 30·10·18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर